न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 06/2021

वादीगण–

1. मोहनलाल पुत्र श्री चिमाराम, जाति जाट, निवासी बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. विशनाराम पुत्र श्री बाबुराम, जाति सुनार, निवासी चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मोहनलाल पुत्र श्री अलसीराम फौत जिनके कायम मुकाम
   1/1 श्रीमति कमला पत्नी स्व. श्री मोहनलाल
   1/2 खेमचन्द पुत्र स्व. श्री मोहनलाल
   1/3 हेमराज पुत्र स्व. श्री मोहनलाल फौत जिनके कायम मुकाम
      1/3/1 प्रेमलता पत्नी स्व. श्री हेमराज
      1/3/2 महेन्द्र पुत्र स्व. श्री हेमराज
   1/4 जगदीश पुत्र स्व. श्री मोहनलाल
   1/5 हरिकिशन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल
   1/6 प्रेमचन्द पुत्र स्व. श्री मोहनलाल फौत जिनके कायम मुकाम
      1/6/1 जेठी पत्नी स्व. श्री प्रेमचन्द
   1/7 देवीलाल पुत्र स्व. श्री मोहनलाल
2. सीताराम पुत्र श्री अलसीराम फौत जिनके कायम मुकाम
   2/1 श्रीमति पुरो पत्नी स्व. श्री सीताराम
   2/2 जोगराज पुत्र स्व. श्री सीताराम
   2/3 जसराज पुत्र स्व. श्री सीताराम
   सभी जातियान सुनार, निवासी चेराई तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार तिंवरी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1/5 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–::निर्णय::–

दिनांकः 23/2/22

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2911/8 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, मौजा ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 का 25/234 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 25/234 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 58/117 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 34/117 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से मौके पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भौतिक रूप से विभाजन किया हुआ है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं होने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य व काश्त करवाने में कठिनाई हो रही है। आये दिन हक हिस्से की भूमि के विभाजन को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण में मनमुटाव रहता है। जिस कारण से वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण यही कहते रहे कि उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवा देंगे। दिनांक 20/03/2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अपने हिस्से अनुसार माप चौक कर विभाजन कर कणा माठ कायम किये हुए है तथा वादीगण का चेराई–जोधपुर रोड़ पर 132 फीट व पीछे लम्बाई में 165 फीट हिस्सा रखा गया उसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है। वादीगण ने प्रार्थना की कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2911/8 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, मौजा ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में वादीगण के हिस्से की संयुक्त भूमि रखते हुए मौके पर कब्जा काश्त एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1/5 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री

सहायक कलक्टर, ओसियां

रामकिशोर औझा उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 1/6, 1/7, 2/1 व 2/2 को न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

यह है कि वादीगण के वाद पत्र पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादीगण के हिस्से की भूमि सामलात रखते हुए, प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति जाहिर की तथा प्रतिवादी संख्या 1/5 व 2/3 को जवाब हेतु अवसर दिये गये परन्तु इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा और सहमति जाहिर की कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी पैरोकार की ओर से राजस्व केम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में केम्प चेराई में जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, इसलिए वादीगण अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2911/8 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, मौजा ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में वादीगण का हिस्से की संयुक्त भूमि रखते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तथा इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार तिंवरी से तलब हो तथा निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 23/2/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(ऑडर 20, रूल 06 व 07)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी रतनलाल रैगर।

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मोहनलाल वगैरा		मोहनलाल वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या:– 6/2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी, प्रतिवादी संख्या 1/5 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वाद पत्र में निर्णय अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2911/8 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, मौजा ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में वादीगण का हिस्से की संयुक्त भूमि रखते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तहसीलदार तिंवरी से बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब हो तथा इसी आशय की डिक्री जारी की जाती है।

यह आज तारीख.................. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

खर्चा इस निज.......—....... मुबलिग.......—.......बाबत्.......—....... फीसदी सालाना आज की मुकदमे के मय सूद व शहर.......—....... को अदा करें। तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/2/22 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री
डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास **रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मोहनलाल वगैरा		मोहनलाल वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 06/2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी, प्रतिवादी संख्या 1/5 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वाद पत्र में निर्णय अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2911/8 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, मौजा ग्राम चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में वादीगण का हिस्से की संयुक्त भूमि रखते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तहसीलदार तिंवरी से बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की भूमि विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिगरी जारी की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। इसी अनुसार तहसीलदार तिंवरी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें।

निज...........—.......... मुबलिग........—.......................बाबत्........—........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.............—.................................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......—.............................. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/3/22 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner